# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

## पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

**पत्रावली संख्या : 54/2024 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002**

**Piramal Capital & housing Finance Corporation Ltd. (Erstwhile-Dewan Housing Finance Corporation Ltd.)** जरिये अधिकृत प्रतिनिधि पुनीत बोहरा

**पंजीकृत कार्यालय**–पीरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग लिमिटेड, यूनिट नम्बर 601, छटवां माला, अमृत बिल्डिंग, अगस्त्य कॉर्पोरेट पार्क, कमानी जंक्शन, फायर स्टेशन के सामने, एल.बी.एस. मार्ग, कुर्ला–पश्चिम, मुम्बई–400070

**शाखा कार्यालय**–302/5, थर्ड फ्लोर, जयपुर टॉवर, आकाशवाणी के सामने, एम.आई. रोड, जयपुर–302001 (राजस्थान)

**–प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)**

**बनाम**

1. **सुनीता ढ़ाका पत्नी श्रीचन्द ढ़ाका**
   **प्रथम पता**–टैगोर सीनियर सैकण्डरी स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, नवलगढ़ रोड़, सीकर (राजस्थान) 332001
   **द्वितीय पता–**सार्थक हॉस्टल, प्लाट नम्बर 1380, समरथपुरा पिपराली रोड़, सीकर, (राजस्थान) 332001
   **तृतीय पता**– प्लाट नम्बर 13, वार्ड नं. 42, नवलगढ रोड़, भगत सिंह कॉलोनी, बी/एच टैगोर स्कूल, सीकर (राजस्थान) 332001
2. **श्रीचन्द ढ़ाका पुत्र लक्ष्मणसिंह ढ़ाका**
   **प्रथम पता**–टैगोर सीनियर सैकण्डरी स्कूल, भगत सिंह कॉलोनी, नवलगढ रोड़, सीकर (राजस्थान) 332001

**–अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता)**

**The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.**

(न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.))

## निर्णय

**दिनांकः 20 जनवरी, 2025**

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता **श्री परिवेश कुमार** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **सुनीता ढ़ाका पत्नी श्रीचन्द ढ़ाका** एवं **श्रीचन्द ढ़ाका पुत्र लक्ष्मणसिंह ढ़ाका** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुनीता ढ़ाका** के स्वामित्व की

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

बंधक सम्पत्ति **प्लाट नम्बर 13, वार्ड नं. 42, नवलगढ़ रोड़, भगत सिंह कॉलोनी, बी/एच टैगोर स्कूल, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 218.25 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता 30 फीट, पश्चिम दिशा में भूखण्ड दीगर, उत्तर दिशा में रास्ता 30 फीट एवं दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या 2 है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **रू. 25,63,414/– (अक्षरे पच्चीस लाख तरेसठ हजार चार सौ चोदह) एवं रू. 50,24,275/– (अक्षरे पचास लाख चोबीस हजार दो सौ पिच्हत्तर)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **08.11.2022** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

**2.** पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थीगण (ऋणी/सहऋणी/बंधककर्त्ता) की ओर से वकील श्री जसवंतसिंह भूरिया उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण भुगतान से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये गये हैं।

**3.** पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर (राज.)

**4.** प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **08.11.2022** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

**5.** अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 2 क्रमशः **सुनीता ढ़ाका पत्नी श्रीचन्द ढ़ाका** एवं **श्रीचन्द ढ़ाका पुत्र लक्ष्मणसिंह ढ़ाका** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **सुनीता ढ़ाका** के स्वामित्व की बंधक सम्पत्ति **प्लाट नम्बर 13, वार्ड नं. 42, नवलगढ़ रोड़, भगत सिंह कॉलोनी, बी/एच टैगोर स्कूल, सीकर, राजस्थान** में स्थित है। जिसका **कुल क्षेत्रफल 218.25 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में रास्ता 30 फीट, पश्चिम दिशा में भूखण्ड दीगर, उत्तर दिशा में रास्ता 30 फीट एवं दक्षिण दिशा में भूखण्ड संख्या 2 है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के आदेश प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

**6.** आदेश आज दिनांक **20 जनवरी, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकुल शर्मा)
**जिला मजिस्ट्रेट, सीकर**